है। जिला रसद अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध समिति का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 14.05.2014 निरस्त किया जाकर समिति का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी लिखित बहस दिनांक 27.01.17 एवं उसके सलंग्न खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 17.03.16 के आधार पर कथन किया कि मैसर्स अपनी बचत घर योजना महिला समिति लि0 सरदारपुरा बीका को रसद विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र सं0 780/2010 जारी किया था जिसकी अध्यक्ष श्रीमति विद्यादेवी पत्नि श्री गोपीराम है। समिति का कार्य केवल श्रीमति विद्यादेवी द्वारा किया जा रहा था। श्रीमति विद्यादेवी द्वारा दिनांक 04.05.2012 को समिति के पद से त्यागपत्र देने का लिखित प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को प्रस्तुत किया, जिस कारण इन्हें आवंटित क्षेत्र का कार्य इसी पंचायत के दूसरे दुकानदार विष्णुदत को अतिरिक्त चार्ज में दे दिया गया।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 07.01.2014 को श्रीमति विद्यादेवी द्वारा जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में प्रा0 पत्र पेश किया कि उसका पूर्व में स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसका कार्य दूसरे को दिया गया था अब उसका स्वास्थ्य सही है और वह कार्य करनी चाहती है। इस प्रा0 पत्र के जांच के दौरान विद्यादेवी द्वारा आरोग्य प्रमाण पत्र दिनांक 31.01.2014 प्रस्तुत किया और उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि श्रीमति विद्यादेवी द्वारा पूर्व में त्यागपत्र देकर उक्त दुकान का कार्य बन्द कर दिया था और पुनः शुरू करने के प्रार्थना पत्र में उसके द्वारा स्वयं का स्वास्थ्य खराब होने के कारण राशन वितरण नही करना बताया। इसलिए समिति के त्यागपत्र संबंधी तथ्यो को छुपाते हुए स्वास्थ्य के कारण अवकाश लेने संबंधी गलत तथ्य प्रस्तुत कर अनुचित तरीके से पुनः कार्य प्रारम्भ करने संबंधी प्रयास के कारण जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 14.05.2014 को आदेश जारी कर समिति का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो सही है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

उनका आगे कथन है कि वर्तमान में खाद्य विभाग द्वारा द्वारा दिनांक 17.03.16 को उचित मूल्य दुकानो के आवंटन के संबंध में नये दिशा निर्देश जारी किये है जिसके अनुसार आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नतक एवं कम्प्यूटर में आर.के.सी.एल. द्वारा जारी तीन माह प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवश्यक है और साथ ही आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से ज्यादा नही होनी चाहिए। समिति का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के बाद रिक्त दुकान वर्तमान में अतिरिक्त चार्ज देकर संचालित की जा रही है और चूंकि श्रीमति विद्यादेवी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष छुपाये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि मैसर्स अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति, सरदारपुरा बीका तहसील रायसिंहनगर के नाम से उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं0 780/2010 जारी है जिसकी अध्यक्ष श्रीमति विद्यादेवी पत्नि श्री गोपीराम है। उक्त प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक

[signature]
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर